# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

## !! आदेश !!

क्रमांक /दो–1–1/2005 हरदा, दिनांक /07/2025

मैं, तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला हरदा न्यायिक जिला स्थापना हरदा पर प्रशासनिक कार्य को गतिशीलता प्रदान करने, एवं उनका सूक्ष्मतापूर्वक क्रियान्वयन करने हेतु विभिन्न समितियों के संबंध में पूर्व में जारी किए गए समस्त आदेशों/विविध आदेशों को निरस्त करते हुए एवं पश्चात् में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार समय–समय पर गठित समितियों को प्रतिस्थापित करते हुए आगामी आदेश तक के लिए निम्नानुसार समितियों का गठन करती हूं :–

| क्र0 | समिति का नाम | समिति का कार्यक्षेत्र/कार्य | संरचना/गठन |
|---|---|---|---|
| 1 | जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति | पक्षकारों तथा अधिवक्ता संघ के सदस्यों के शिकायतों के निवारण के लिए जिसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश ए/3278/दो–1524 /77 (भाग–दो)दिनांक 12.09.14 से अधिसूचित किया गया है। | 01 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश– अध्यक्ष (पदेन)<br>02 जिला रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, हरदा– सचिव<br>03 श्री अहादुल्ला उस्मानी, अधिवक्ता म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के द्वारा नामांकित–सदस्य<br>04 अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ, हरदा– सदस्य<br>05 सचिव जिला अधिवक्ता संघ हरदा– सदस्य |
| 2 | सेवा मामलों से संबंधित प्रशासकीय समिति, | 1. समिति दिनांक 01 अप्रैल की स्थिति में इस स्थापना पर पदस्थ समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार करायेगी।<br>2. समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतनमान एवं पदोन्नति समयमान वेतनमान आदि की अनुशंसा उनके सेवा अभिलेखों का परीक्षण करके करेगी।<br>3. समिति समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा किसी कर्मचारी की पदोन्नति एवं वेतनमान आदि से संबंतित मामला सुपुर्द किए जाने पर उसका निरीक्षण कर अपना अभिमत देगी। | 01 विशेष न्यायाधीश, अजा0/अ0 ज0जा0 अत्याचार निवारण – अध्यक्ष<br>02 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा–सदस्य<br>03 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हरदा/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट – सदस्य<br>04 वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मचारी– सचिव |
| 3 | कार्यालय समिति | कार्यालयीन कार्य को गतिशीलता प्रदान करने हेतु समस्त कार्यालयीन नस्तियों का निरीक्षण व समय पर प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कराना। | 01 वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी, कार्यालय अनुभाग हरदा –अध्यक्ष<br>02 जिला रजिस्ट्रार – सचिव<br>03 द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, हरदा–सदस्य |
| 4 | छानबीन समिति। | 1. समिति उन समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जिन्होंने अपनी सेवा को 20 वर्ष या 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, के सेवा अभिलेखों का परीक्षण यथा समय करके इस बिन्दु पर अपना प्रतिवेदन देगी कि क्या ऐसे कर्मचारियों को सेवा में निरंतर | 01 विशेष न्यायाधीश, अजा0/अ0 ज0जा0 अत्याचार निवारण – अध्यक्ष<br>02 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा–सदस्य<br>03 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हरदा/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट – सदस्य<br>04 जिला रजिस्ट्रार – सदस्य<br>05 वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मचारी– सचिव |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | रखना जनहित में उचित होगा।<br>2. समिति प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर सुपुर्द किये गये उक्त प्रकार के मामलों का परीक्षण कर अपना अभिमत देगी। | |
| 5 | पदोन्नति समिति | जिला न्यायालय सामान्य स्थापना एवं कुटुम्ब न्यायालय स्थापना के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की पदोन्नति से संबंधित मामले। | 01 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश– अध्यक्ष (पदेन)<br>02 विशेष न्यायाधीश, अजा0/अ0 ज0जा0 अत्याचार निवारण – सदस्य<br>03 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड हरदा/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट – सदस्य<br>04 वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मचारी– सचिव |
| 6 | स्थानांतरण नीति/एकीकृत गाईड 2015 के अंतर्गत वार्षिक स्थानांतरण श्रंखला व स्थानांतरण मामलों पर कार्य हेतु समिति। | 1. माननीय रजिस्ट्री जबलपुर के स्थानांतरण नीति एकीकृत दिशा–निर्देश "परिपत्र" कमांक सी/1560/तीन–18–180/75 (गाईडलाईन) जबलपुर दिनांक 11.04.2022 के अंतर्गत अंतरमण्डलीय स्थानांतरण मामलों पर कार्य हेतु। समिति नवनियुक्त कर्मचारियों के पदस्थापना संबंधी मामलों को भी देखेंगी।<br>2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर दिए गए आदेशानुसार तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के स्थानांतरण एवं पदस्थापना करना।<br>3. तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के संबंध में तीन वर्ष से अधिक समयावधि तक एक ही पद पर पदस्थ रहने की जानकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर स्थानांतरण प्रस्ताव प्रधान जिला न्यायाधीश की ओर प्रेषित किया करेंगे। | 01 विशेष न्यायाधीश, अजा0/अ0 ज0जा0 अत्याचार निवारण – अध्यक्ष<br>02 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश– सदस्य<br>03 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हरदा –सदस्य<br>04 जिला रजिस्ट्रार – सदस्य<br>05 वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मचारी– सचिव |
| 7 | कय–समिति। | 1. उपलब्ध बजट को देखते हुए कार्यालय एवं न्यायालयों की मांग अनुसार समिति उपकरण, फर्नीचर व स्टेशनरी कय करने हेतु प्रतिवेदन मय गुणवत्ता व प्रदायकर्ता के नाम का निर्धारण कर यथासमय प्रस्तुत करेगी।<br>2. इसके अतिरिक्त समय– समय पर आवश्यकतानुसार उच्च गुणवत्ता की स्टेशनरी कय करने हेतु कोटेशन आहुत करने के उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।<br>3. समिति कार्यालय एवं न्यायालयों की आवश्यकतानुसार शासकीय मुद्रणालय से कय की जाने वाली सामग्रियों की अनुशंसा करेगी।<br>4. समिति प्रधान जिला न्यायाधीश के आदेशानुसार अन्य सामग्री कय करने हेतु | 01 विशेष न्यायाधीश, अजा0/अ0 ज0जा0 अत्याचार निवारण – अध्यक्ष<br>02 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश– सदस्य<br>03 . मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हरदा – सदस्य<br>04 जिला रजिस्ट्रार, हरदा – सदस्य<br>05 वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मचारी – सचिव |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | प्रतिवेदन उनकी गुणवत्ता एवं प्रदायकर्ता के नाम का निर्धारण करके प्रस्तुत करेगी।<br>5. समिति कार्यालय एवं समस्त न्यायालयों से उनकी मांग अनुसार पुस्तक कय किये जाने की अनुशंसा करेगी तथा आवश्यकतानुसार समय–समय पर पुस्तकें कय किये जाने की अनुशंसा करेगी।<br>6. समिति विस्तृत जानकारी तैयार करेगी कि किस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कब–कब वर्दी व कोट विगत पांच वर्ष में प्राप्त हुए।<br>7. समिति उपलब्ध बजट के आधार पर गुणवत्ता निर्धारित कर वर्दी कय किये जाने की अनुशंसा करेगी।<br>8. समिति के मापदण्ड तैयार करेगी, जिसके आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी एवं कोट दिये जावेंगे। | |
| 8 | जिला स्तरीय ई–कोर्ट प्रोजेक्ट पॉलिशी एवं एक्शन प्लान तथा कम्प्यूटर समिति, सूचना, संचार व प्रौघोगिकी (आई.सी.टी.) के संबंध में समिति। | जिला स्तरीय ई–कोर्ट तथा कम्प्यूटर समिति सूचना, संचार व प्राद्यौगिकी (आई.सी.टी.) के सामान्य प्रबंधन व रजिस्ट्री आई.टी. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मेमों क्0 3436 दिनांक 30.07.15 के अंतर्गत ई–कोर्ट योजनाओं के कियान्वयन व फाईलिंग सेंटर तथा आदेशिका केन्द्र समस्त प्रकार के कार्यों के लिए जिनमें कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी शामिल है। | 01 द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हरदा– अध्यक्ष<br>02 द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हरदा– सदस्य<br>03 जिला रजिस्ट्रार– सदस्य<br>04 सिस्टम ऑफिसर<br>05 सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर– सचिव |
| 9 | कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के संबंध में कार्य हेतु शिकायत समिति। | कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के संबंध में कार्य हेतु एवं लिंग संवेदीकरण और महिला अनुशासन संबंधी यौन उत्पीड़न विनिमय वर्ष 2015 के संबंध में कार्य करने हेतु। | 01. विशेष न्यायाधीश, अजा0 / अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण– अध्यक्ष<br>02. प्रथम व्यव.न्याया. कनिष्ठ खण्ड –सदस्य<br>03 श्रीमती रंजना भारद्वाज अधिवक्ता–सदस्य<br>04 वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मचारी– सचिव |
| 10 | ग्रंथालय समिति। | ग्रंथालय से संबंधित कार्य | 01 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश– अध्यक्ष<br>02 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड / सी.जे.एम. – सदस्य<br>03 जिला रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, हरदा –सदस्य<br>04 ग्रंथपाल– सचिव |
| 11 | कर्मचारी कल्याण समिति | तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कल्याण योजना / उपायों व अन्य सभी सुसंगत मामलों पर अनुशंसा के लिए। | 01 प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय– अध्यक्ष<br>02 तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश हरदा– सदस्य<br>03 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट – सदस्य<br>04 जिला रजिस्ट्रार, हरदा– सदस्य<br>05 उप प्रशासनिक अधिकारी, कुटुम्ब न्यायालय– सचिव |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | जिला मुख्यालय हरदा पर भौतिक अधोसंरचना के विकास तथा न्यायालयों व न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास के रख रखाव हेतु व 14वें वित्त आयोग की योजनाओं हेतु समिति। | जिला मुख्यालय हरदा पर भौतिक अधोसंरचना के विकास तथा न्यायालयों व न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास के रख रखाव हेतु व 14वें वित्त आयोग की योजनाओं हेतु तथा स्वच्छ न्यायालय अभियान हेतु। | 01 विशेष न्यायाधीश अजा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण–अध्यक्ष<br>02 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट– सदस्य<br>03 जिला रजिस्ट्रार, हरदा– सदस्य<br>04 वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मचारी– सचिव |
| 13 | खिरकिया व टिमरनी में भौतिक अधोसंरचना विकास व न्यायालयों तथा न्यायिक अधिकारी व कर्मचारियों के अवासों के रख रखाव हेतु उपसमिति। | खिरकिया व टिमरनी में भौतिक अधोसंरचना विकास व न्यायालयों तथा न्यायिक अधिकारी व कर्मचारियों के अवासों के रख रखाव हेतु। | 01 विशेष न्यायाधीश, अजा0/अ0ज0 जा0 अत्याचार निवारण–अध्यक्ष<br>02 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट –सदस्य<br>03 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/ जे.एम.एफ.सी. खिरकिया–सदस्य<br>04 जिला रजिस्ट्रार, हरदा – सदस्य<br>05 व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/ जे.एम.एफ. सी. टिमरनी –सदस्य<br>06 वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मचारी– सचिव |
| 14 | मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम 1961 तथा आपराधिक न्यायालय नियमों के अनुसार सिविल व आपराधिक मामलों के निराकृत अभिलेखों के नष्टीकरण हेतु समिति। | मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम 1961 तथा आपराधिक न्यायालय नियमों के अनुसार सिविल व आपराधिक मामलों के निराकृत अभिलेखों के नष्टीकरण हेतु। | 01 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश – अध्यक्ष<br>02 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश– सदस्य<br>03 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/सी. जे.एम., हरदा – सदस्य<br>04 अभिलेखापाल– सचिव |
| 15 | स्वच्छता अभियान समिति। | स्वच्छता से संबंधित कार्य। | 01. विशेष न्यायाधीश अजा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण – अध्यक्ष<br>02 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा – सदस्य<br>03 जिला रजिस्ट्रार, हरदा –सदस्य<br>04 जिला नाजिर– सचिव |
| 16 | आपदा प्रबंधन समिति। | रजिस्ट्री जबलपुर के आदेशानुसार इस स्थापना पर आपदा प्रबंधन नीति संबंधी कार्य संपादित किये जाने हेतु। | 01. विशेष न्यायाधीश अजा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण – अध्यक्ष<br>02 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा – सदस्य<br>03 जिला रजिस्ट्रार, हरदा –सदस्य<br>04 जिला नाजिर– सचिव |
| 17 | जिला स्तर पर एक्सेसिबिलिटी (Accessibility Committee) समिति | यह समिति न्यायालय में दाखिल दस्तावेजों, न्यायालय की वेबसाइट और न्यायिक प्रणाली के अन्य पहलुओं तक पहुंचने में विकलांग वकीलों और पक्षकारों के सामने आने वाली बाधाओं पर निरंतर ध्यान देगी और उनका समाधान करेगी। | 01. तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश – अध्यक्ष<br>02. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हरदा – सदस्य<br>03. श्री लोकेश जाट अधिवक्ता– सदस्य<br>04. सहायक लेखापाल – सदस्य<br>05. डी0एस0ए0/सिस्टम ऑफिसर– सदस्य |
| 18 | माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) कमांक 538/2023 (राजीव | सभी न्यायालय परिसरों में पुरूषों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग–अलग शैचालय सुविधाओं | 01. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (पदेन) – अध्यक्ष<br>02. विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट, हरदा – सदस्य |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | कलिता विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 15.01.2025 के अनुपालन में जिला स्तर पर गठित समिति। | को सुनिश्चित किये जाने हेतु। | 03. जिला रजिस्ट्रार – सदस्य<br>04. अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ– सदस्य<br>05. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ व्यवहार न्यायालय, खिरकिया – सदस्य<br>06. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, व्यवहार न्यायालय, टिमरनी – सदस्य<br>07. मुख्य कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स), जिला हरदा– सदस्य |
| 19 | जिला स्तर पर ई–समंस की 100 प्रतिशत तामिली के संबंध में एवं प्रौद्योगिकी के कियान्वयन एवं सॉफ्टवेयर कियान्वयन में आने वाली समस्याओं की मॉनिटरिंग समिति। | 01 नवीन आपराधिक कानून के कियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में ई–समंस की 100 प्रतिशत तामिली हेतु उक्त कमेटी जिला स्तर पर प्रत्येक माह ई–समंस की समीक्षा करेगी, जिसमें कितने ई–समंस तामिल हुए है, कितने अदम तामिल हुए है। अदम तामिल के कारणों की समीक्षा करते हुए अधिकाधिक तामिली हेतु यथासंभवन कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।<br>02 जिला स्तर पर प्रौद्योगिकी के कियान्वयन एवं सॉफ्टवयेर कियान्वयन में आने वाली समस्याओं को मॉनिटर करेगी एवं उनके निदान हेतु आवश्यक सुझाव देगी। | 01. वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग जिला न्यायालय, हरदा– अध्यक्ष (पदेन)<br>02. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक– सदस्य (पदेन)<br>03. जिला लोक अभियोजन अधिकारी – सदस्य (पदेन)<br>04. मुख्य चिकित्सा अधिकारी– सदस्य (पदेन)<br>05. जेल अधीक्षक, जिला जेल हरदा– सदस्य (पदेन)<br>06. सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग जिला न्यायालय, हरदा– सचिव (पदेन) |
| 20 | जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति, हरदा | समिति, प्रत्येक तीन में बैठक करेगी और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की समस्याओं की समीक्षा कर निराकरण करेगी तथा बैठक में लिये गये निर्णय से माननीय रजिस्ट्री को अवगत करायेगी। | 01. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) एस.सी./एस.टी. एक्ट, हरदा – अध्यक्ष (पदेन)<br>02. जिला रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट हरदा– सदस्य (पदेन)<br>03. वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मचारी– सचिव<br>04. अध्यक्ष तृतीय कर्मचारी संघ (पदेन) – सदस्य<br>05. सचिव तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ (पदेन) – सदस्य<br>06. अध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ (पदेन) – सदस्य<br>07. सचिव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ (पदेन) – सदस्य |

माननीय रजिस्ट्री के आदेश के अनुकम में समिति कं. 1 की बैठक प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को आयोजित होगी। समिति क. 2 लगायत 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17 एवं 18 आवश्यकतानुसार बैठकें करेंगी। समिति कं. 10, 14 तथा समिति क. 19 की बैठके प्रत्येक माह में 01 बार नियत होगी। समिति कमांक 20 प्रत्येक तीन माह में बैठक कर माननीय रजिस्ट्री को बैठक में लिए गए निर्णय से अवगत करायेगी। समितियों द्वारा बैठकों का ब्यौरा बैठकों के ठीक बाद अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावे। संबंधित समिति के सचिव समिति के वरिष्ठतम सदस्य से होने वाली बैठक की तिथि, समय व स्थान निश्चित करेंगे। तिथियों को परिवर्तित या समायोजित आवश्यकतानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश, हरदा के पूर्व अनुमोदन से किया जा सकेगा।

Sd/-
(तृप्ति शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)

पृष्ठांकन कमांक 1205(1-5) / दो–1–1 / 2005 हरदा, दिनांक / 07 / 2025

प्रतिलिपि–यथानिर्देशानुसार –

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, न्यायिक जिला स्थापना, हरदा
2. प्रभारी अधिकारी, समस्त अनुभाग, जिला न्यायालय, हरदा
3. पुलिस अधीक्षक / अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला हरदा
4. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, जिला न्यायालय परिसर, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संबंधित अधिवक्तागण को सूचित किये जाने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, व्यवहार न्यायालय, खिरकिया / टिमरनी जिला हरदा
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, हरदा (म0प्र0)
7. मुख्य कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ / स), हरदा
8. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला हरदा
9. जेल अधीक्षक, जिला जेल, हरदा
10. कोर्ट मैनेजर / प्रशासनिक / उप प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
11. जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय, हरदा
12. सिस्टम ऑफिसर / डी0एस0ए0, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय, हरदा
13. ग्रंथपाल, गंथालय अनुभाग, जिला न्यायालय हरदा
14. अभिलेखापाल, अभिलेखागार अनुभाग, जिला न्यायालय, हरदा
15. अध्यक्ष / सचिव, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला न्यायालय, हरदा
16. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
17. सिस्टम ऑफिसर / डी0एस0ए0, कम्प्यूटर अनुभाग, हरदा की ओर जिला न्यायालय हरदा की वेबसाईट / सर्व संबंधित की ओर ई–मेल / वॉट्स–एप के माध्यम से सूचना प्रेषित किये जाने के संबंध में।
18. लेखापाल, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृते– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)